राजस्थान – सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंग्न चिकित्सालय समूह कोटा

web:http:/www.education .rajasthan.gov.in/gmckota e-mail:principalmck@gmail.com Tel 0744-2470674

कमांक : प.32( )/क्रय–1/आर.ओ.प्लांट/2022–23/42 दिनांक 07-05-2022

कोटेशन के लिए अनुरोध संख्या 3/2022–23

इस विभाग/कार्यालय को निम्नांकित सामग्री/कार्य/सेवाओं की आवश्यकता है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक सामग्री/कार्य/सेवाओं के लिए उनके सम्मुख कय करने हेतु अंकित तिथि एवं समय तक समस्त थोक विक्रेताओं/उत्पादकों/विनिर्माताओं/मूल उपकरण विनिर्माताओं/एक मात्र विरतकों/एक मात्र विक्रेता/विपणन एजेन्ट/उप वितरकों/प्राधिकृत डीलरों/विनिर्माताओं की खुदरा दुकानों/प्राधिकृत स्टाकिस्टों/खुदरा विक्रेताओं/अधिकृत सेवा केन्द्रों/सेवा प्रदाताओं तथा बोली लगाने वाले सद्भावी डीलरों से सीलबन्द लिफाफे में कोटेशन के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है। बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट कार्यालय वेबसाइट www.medical education.rajasthan.gov.in/gmckota एवं स्टेट पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सामग्री/कार्य/सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सामग्री/कार्य/सेवाओं का नाम	अनुमानित कीमत (राशि रूपयो में)	कोटेशन प्राप्त करने की तिथि व समय	कोटेशन खोलने की तिथि व समय
1	गर्ल्स हॉस्टल में स्थापित आर0ओ0 वाटर फिल्टर की CAMC 01 वर्ष हेतु दर संविदा	31,500/–	16-05-2022 को शाम 5.00 बजे तक	17-05-2022 को दोपहर 03.00 बजे

बोली की अन्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. सामग्री/कार्य/सेवाओं की संख्या/मात्रा घटाई –बढाई जा सकती है।
2. बोली में भाग लेने वाली फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। जी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।
3. सील बन्द बोली प्रधानाचार्य के कार्यालय में **दिनांक 16-05-2022 को दोपहर 05.00 बजे** तक व्यक्तिगत रूप से दी जा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है अथवा उक्त अवधि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
4. निर्धारित अवधि तक प्राप्त बोलियों को क्रय समिति द्वारा बिड **दिनांक 17-05-2022 को दोपहर 03.00 बजे उपरान्ह** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।
5. बोली में दरें स्पष्ट अंकित करें। किसी भी कटिंग/ओवरराईटिंग पर लघुहस्ताक्षर करें अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी।
6. **दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जावें। विभिन्नता की स्थिति में शब्दों में लिखी हुई दरें मान्य होंगी जो कि RTPP Rule - 2013 के नियम 64 के अन्तर्गत निर्णयाधीन होंगी।**
7. **दरों में किसी भी प्रकार के करों को सम्मिलित नहीं किया जावे। दरें FOR चिकित्सा महाविद्यालय कोटा प्रस्तुत करनी है जिसमें GST के अतिरिक्त सभी चार्जेज सम्मिलित होंगें।**
8. **निविदत्त दरों के इतर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किसी भी आधार पर नहीं किया जावेगा।**
9. निर्धारित अवधि एवं समय पश्चात प्राप्त होने वाली बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. क्रय योग्य आइटम्स की संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख आइटम्स में बोलीदाता फर्म द्वारा दरें अंकित की जाएंगी।

(हस्ताक्षर)

11. निर्धारित समय अवधि के बाद जो कि क्रय आदेश में वर्णित होगी, कार्य पूर्ण न होने पर **GF&AR** भाग द्वितीय के नियम – 58 के अन्तर्गत पेनाल्टी प्रावधान आरोपित होगा।
12. बोली दाताओं द्वारा निर्धारित समय अवधि में आपूर्ति/कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा विहित **Specification** अनुसार नहीं करने पर कार्य **open market** से करवाया जावेगा जिसकी वसूली न्यूनतम निविदादाता से की जाएगी।
13. कार्यादेश दिए जाने पर कोटेशन के लिए अनुरोध प्रपत्र तथा विभाग एवं सप्लायर के मध्य होने वाले समस्त पत्र–व्यवहार दोनों पक्षों के बीच **Agreement** माने जाएँगें।
14. सप्लायर के बिल का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात कोषालय के माध्यम से **On line** खाते में किया जावेगा।
15. बोली स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी न्यूनतम बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बोली को या उसके किसी अंश को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
16. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
17. बोली की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम –2013 के अध्यधीन होंगी।
18. बोली दस्तावेज को अनुबन्ध का भाग माना जायेगा।
19. संदर्भित **RTPP Rule – 2013** तथा **GF&AR** के नियम वित्त विभाग की वेबसाइट **www.finance.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है।

(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक : प.32( )/क्रय–1/आर.ओ.प्लांट/2022–23/42 दिनांक 07-05-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
2 प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय कार्यशाला, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
3 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा को विभागीय वेबसाइट एवं स्टेट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4 सहायक लेखाधिकारी – प्रथम स्टेट पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
5 नोटिस बोर्ड कार्यालय/कॉलेज भवन/एम0बी0एस/जे0के0लोन/नवीन चिकित्सालय,कोटा।
6 लेखा शाखा/केशियर मेडिकल कॉलेज, कोटा।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

राजस्थान – सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंग्न चिकित्सालय समूह कोटा
web:http:/www.education .rajasthan.gov.in/gmckota e-mail:principalmck@gmail.com Tel 0744-2470674

कोटेशन के लिए अनुरोध संख्या 9/2022–23 में

CAMC करवाए जाने वाले उपकरण के स्पेसिफिकेशन एवं विवरण

क.सं.	आईटम का नाम	मात्रा एवं विवरण
1	Plant Capacity	250 lit/hr. R.O. Plant Automatic
2	Motor-2Nos	1 No. CRI Pump Motor 1&1/2 HP 1 No. ½ HP Motor Pump
3	Membern	1 No. 40X40
4	Filter	2 Nos. Jumbo Filter 1 No. Vessale with Material
5	Service	Per 3 Months

CAMC करवाए जाने वाले उपकरणों की सूची

वित्तीय बिड

क. सं.	सामग्री / कार्य / सेवाओं का नाम	अनुमानित मात्रा	कोटेड दर प्रति यूनिट	जी.एस.टी.	कुल कीमत प्रति यूनिट अंको में	कुल कीमत प्रति यूनिट शब्दों में
	गर्ल्स हॉस्टल में स्थापित आर0ओ0 वाटर फिल्टर की CAMC 01 वर्ष हेतु दर संविदा	01				

नोटः– 1. निविदत्त दरों के इतर कोई भुगतान किसी आधार पर नहीं किया जायेगा।
2. भुगतान त्रैमासिक CAMC Report के आधार पर होगा।

बिडर के हस्ताक्षर मय मोहर

9/12